झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) कोर्ट केश–09 / 2010 ..... / राँची, दिनांक .....

आदेश

श्री प्रमोद कुमार मालवीय, तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई अनुमंडल, डुमरी (अन्तर्गत लघु सिंचाई प्रमण्डल, गिरिडीह) को कोदाई बांक बाँध झरनानाला मध्यम सिंचाई योजना में बरती गई अनियमितताओं में प्रथम द्रष्टया दोषी पाये जाने पर विभागीय आदेश सं०–2032 दिनांक– 06.07.2002 द्वारा निलंबित करते हुए संकल्प ज्ञापांक– 2837 दिनांक– 05.09.2002 द्वारा असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–55 के तहत् विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

2. श्री मालवीय, कनीय अभियंता के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप गठित किये गये थे :–

(i) योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त कार्य के महत्वपूर्ण अवयवों में बिना किसी तकनीकी औचित्य के हेरफेर करके प्राक्कलन तैयार करना एवं प्राक्कलन के आंकड़ों को बदल देना।

(ii) योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि और तकनीकी स्वीकृति की राशि में भिन्नता कर दिया गया। उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति रू० 87,59,845.00 पर दी गई थी, जिसमें 10,85,155.00 रूपये अधिक बढ़ाकर रूपये 98,45,000.00 पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई जो तकनीकी परीक्षण कोषांग की संकल्प सं०–948 दिनांक– 16.07.1996 के विरूद्ध है।

(iii) कोदाई बांक झरनानाला मध्यम सिंचाई योजना के डैमफिल कार्य में मिट्टी का लेयर बाईज कम्पेक्शन गुण–नियंत्रण कार्य समुचित ढंग से नहीं करना।

(iv) अपराधिक षड़यंत्र के तहत् योजना प्राक्कलन एवं कार्यान्वयन में अनियिमतता कर सरकारी राशि का गबन / दुरूपयोग करना।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री मालवीय, तत्कालीन कनीय अभियंता, निलंबित के विरूद्ध गठित सभी आरोप प्रमाणित पाये गये।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर किया गया एवं सम्यक् समीक्षोपरान्त उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक– 298 दिनांक– 31.01.2004 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गया –

(i) निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

(ii) सेवा से बर्खास्तगी।

5. श्री मालवीय, तत्कालीन कनीय अभियंता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा सरकार के स्तर पर किया गया। सम्यक् समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री मालवीय, कनीय अभियंता के रूप में सी०ओ०टी० की लम्बाई कम होने की स्थिति में इस बिन्दु पर वरीय तकनीकी पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाना चाहिए था, जो इनके द्वारा नहीं किया गया। अतएव श्री मालवीय, तत्कालीन कनीय अभियंता, निलंबित के द्वितीय कारण पृच्छा को अमान्य करते हुए प्रस्तावित दण्ड – (i) निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। (ii) सेवा से बर्खास्तगी" संसूचित करने का प्रस्ताव सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया परन्तु त्रुटिवश विभागीय आदेश ज्ञापांक– 56 दिनांक– 07.01.2008 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित हो गया :–

(i) निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा यद्यपि पेंशनादि प्रयोजन के लिए यह अवधि कार्य अवधि मानी जायेगी।

(ii) पाँच वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

6. श्री मालवीय, तत्कालीन कनीय अभियंता द्वारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका WP(S) - 3482/2010 दायर किया गया। उक्त वाद में तथ्य विवरणी तैयार करने के

क्रम में उपरोक्त त्रुटि संज्ञान में आने पर पुनः दण्डादेश ज्ञापांक– 56 दिनांक– 07.01.2008 को संशोधित करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक– 2536 दिनांक– 16.08.2010 द्वारा श्री मालवीय, कनीय अभियंता को निम्न दण्ड संसूचित किया गया :–

(i) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय होगा।

(ii) सेवा से बर्खास्तगी।

7. श्री मालवीय, तत्कालीन कनीय अभियंता द्वारा दण्डादेश ज्ञापांक– 2536 दिनांक– 16.08.2010 के विरूद्ध उक्त वाद में I.A No. 3105 /2010 दायर किया गया। उक्त वाद में समेकित रूप से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक– 16.12.2010 को निम्न आदेश पारित किया गया है :– ..... Learned counsel appearing on behalf of the respondents tried to emphasize that the law is silent on this point, which cannot be accepted. In fact, the law is not only silent, but the law makers had also no intention to provide such powers to the Disciplinary Authority to review its order of punishment, as and when it feels according to his own sweet will and that too, without affording any opportunity of being heard to the delinquent employee.

In the facts and circumstances, the prayer made in I.A. No. 3105 of 2010 is allowed. The order of punishment for removal dated 16.08.2010, as passed by the Joint Secretary, Water Resources Development, Government of Jharkhand, Ranchi is hereby quashed.....

.....In view of these facts and circumstances, the punishment order dated 07.01.2008 shall be maintained and the writ application regarding the said order is dismissed. The period after 16.08.2010, when the order of removal was passed by the respondent till the date of his joining shall be treated to be in service, but since he has not worked in the said period, he shall not be paid the salary. However the petitioner will be entitled for calculating and taking into account the period rendered in service for other benefits attached with the terms and conditions of his service, including promotion and seniority It which not be treated break in service.....

With these observations, the writ application is partly allowed.

8. उक्त न्यायादेश दिनांक– 16.12.2010 के अनुपालन में विभागीय आदेश ज्ञापांक– 768 दिनांक– 12.03.2011 द्वारा श्री मालवीय द्वारा दिनांक– 19.01.2011 को समर्पित योगदान की स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही विभागीय आदेश ज्ञापांक– 1260 दिनांक– 04.05.2011 द्वारा पूर्व के विभागीय आदेश ज्ञापांक– 2536 दिनांक– 16.08.2010 को निरस्त करते हुए पुनः श्री मालवीय के विरूद्ध निम्न दण्ड प्रस्तावित करते हुए अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया :–

(i) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

(ii) सेवा से बर्खास्तगी।

9. श्री प्रमोद कुमार मालवीय का योगदान स्वीकृत करने के पश्चात् विभाग के पास दो विकल्प थे। एक विकल्प यह था कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध LPA दायर किया जाता दूसरा विकल्प यह था कि विभागीय आदेश ज्ञापांक– 56 दिनांक– 07.01.2008 द्वारा पारित दण्डादेश को यथावत् रखते हुए मामले को बंद कर दिया जाता, परन्तु विभाग द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के विरूद्ध LPA दायर करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही दण्डादेश ज्ञापांक– 56 दिनांक– 07.01.2008 प्रभावी करने के संबंध में कोई आदेश निर्गत किया गया। यद्यपि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट किया गया था कि Disciplinary Authority को अपने ही आदेश को review करने की शक्ति प्रदत्त नहीं है फिर भी विभाग द्वारा अपने आदेश ज्ञापांक– 56 दिनांक– 07.01.2008 द्वारा निर्गत दण्डादेश जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा maintained रखने का स्पष्ट आदेश दिया गया था, को प्रभावी करने के बजाय विभाग द्वारा नये सिरे से dismissal का दण्ड देने के प्रस्ताव पर श्री मालवीय से विभागीय आदेश ज्ञापांक– 1260 दिनांक– 04.05.2011 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गया। विभाग द्वारा नये सिरे से पुराने दण्डादेश को निरस्त कर नया दण्ड देने के संबंध में कारण पृच्छा निर्गत करना प्रथम द्रष्टया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक– 16.12.2010 को पारित आदेश के विपरीत है। श्री मालवीय द्वारा उक्त कारण पृच्छा के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका WP(S) 2933/2011 दायर

किया गया है। उक्त वाद में दिनांक– 31.10.2017 को सुनवाई में माननीय न्यायालय द्वारा विभागीय सचिव स्तर से Personal Affidavit with reason का आदेश पारित किया गया।

10. उक्त आदेश के अनुपालन में मामले की पुनः समीक्षा की गयी। सम्यक् समीक्षोपरान्त पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक– 16.12.2010 को पारित आदेश अब finality achieve कर चुका है। सात वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात् इसमें LPA दायर नहीं किया जा सकता है। It is hopelessly barred by limitation. अब माननीय न्यायालय के उक्त न्यायादेश के अनुपालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

11. अतएव माननीय न्यायालय के न्यायनिर्णय दिनांक– 16.12.2010 के अनुपालन में श्री मालवीय तत्कालीन कनीय अभियंता के विरूद्ध निम्न निर्णय लिया जाता है –

(i) विभागीय आदेश ज्ञापांक– 1260 दिनांक– 04.05.2011 द्वारा निर्गत कारण पृच्छा को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(ii) विभागीय आदेश ज्ञापांक– 56 दिनांक– 07.01.2008 द्वारा निर्गत दण्डादेश यथावत् रहेगा।

(iii) दिनांक– 16.08.2010 से दिनांक– 18.01.2011 (बर्खास्तगी अवधि) के लिए इन्हें कोई वेतन का भुगतान नहीं होगा, परन्तु इस अवधि की गणना वार्षिक वेतन वृद्धि, प्रोन्नति तथा सेवानिवृति लाभ के लिए की जायगी।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

21.11.17

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 3025 राँची / दिनांक 21-11-17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड / कार्यपालक अभियंता, खरकई नहर प्रमण्डल, चाईबासा / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गिरिडीह / उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / श्री प्रमोद कुमार मालवीय, सहायक अभियंता (चालू प्रभार) खरकई नहर अवर प्र०सं०–03, चालियामा / वेब मैनेजर, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.11.17

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव